पंजीकरण सं. 93/ श्रीगंगानगर/90-91

E-mail - President @ uss-sangaria.org.

उपभोक्ता संरक्षण समिति

संगरिया - 335063 जिला हनुमानगढ़ (राज.)

क्रमांक उप.सं. स./2026/ 50

दिनांक 15.06.2026

प्रेषित –

श्रीमान सचिव महोदय,

भारतीय दूर संचार विनियामक प्राधिकरण

नई– दिल्ली

विषय – भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के इस परामर्श पत्र Consultation Paper On the Proliferation of Public Wi-Fi Networks in India के संदर्भ में ।

श्रीमान जी,

भारत में पब्लिक वाई–फाई (Public Wi&Fi) सेवाओं को अधिक सुरक्षित, किफायती और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने के लिए उपभोक्ता के हित में निम्नलिखित महत्वपूर्ण सुझाव प्रेषित हैं–

1. सुरक्षा और गोपनीयता (Security & Privacy) अनिवार्य करना:–
   उपभोक्ताओं के डेटा को हैकिंग और इंटरसेप्शन से बचाने के लिए सभी पब्लिक हॉटस्पॉट पर आधुनिक WPA3 सुरक्षा प्रोटोकॉल को पूरी तरह अनिवार्य किया जाना चाहिए।

2 **अनाधिकृत हॉटस्पॉट की पहचानः –**

उपभोक्ताओं को वित्तीय धोखाधड़ी और नकली हॉटस्पॉट से बचाने के लिए दक्षिण कोरिया की तर्ज पर खतरे की भविष्यवाणी करने वाली एआई–आधारित सुरक्षा प्रणाली लागू की जानी चाहिए।

3 डेटा संरक्षण (Data Protection):–

उपभोक्ताओं के लॉगिन विवरण और ब्राउजिंग डेटा का वाणिज्यिक उपयोग या डेटा फार्मिंग (Data Farming) पूरी तरह प्रतिबंधित की जानी चाहिए।

[signature] 15.06.2026

अध्यक्ष
उपभोक्ता संरक्षण समिति
संगरिया (राजस्थान) 335063

सुगम लॉगिन और निर्बाध कनेक्टिविटी (Seamless Access & Roaming)–

4 सिंगल साइन–ऑन और ओपन रोमिंगः यूरोपीय संघ की तरह पूरे देश में एक ही नेटवर्क नाम (SSID) और 'ओपन रोमिंग' नीति लागू होनी चाहिए। इससे उपभोक्ता को हर नए स्थान पर बार–बार लॉगिन या ओटीपी डालने की परेशानी नहीं होगी

5 केंद्रीकृत मोबाइल ऐपः–

एक आधिकारिक और सुरक्षित सरकारी ऐप विकसित किया जाए, जिससे उपभोक्ता अपने आस–पास के वैध मुफ्त वाई–फाई हॉटस्पॉट और उनकी इंटरनेट स्पीड को आसानी से ट्रैक कर सके।

6 **सामर्थ्य और उचित मूल्य निर्धारण (Affordability)प्रति–जीबी लागत में कमी–**

मोबाइल डेटा (औसतन ₹8/GB) की तुलना में फिक्स्ड वाई–फाई डेटा की लागत बेहद कम (लगभग ₹0.27/ GB) है अतः कम आय वाले परिवारों और छात्रों के लिए दैनिक या मासिक न्यूनतम डेटा कोटा पूरी तरह मुफ्त या बेहद किफायती दरों (जैसे PM&WANI कूपन) पर सुनिश्चित किया जाने चाहिए।

7 **डाटा कैपिंग से मुक्तिः–**

मोबाइल नेटवर्क की तरह दैनिक डेटा लिमिट खत्म होने पर अतिरिक्त चार्ज लगाने के बजाय उपभोक्ताओं को अनलिमिटेड या बिना स्पीड ड्रॉप वाली इंटरनेट सुविधा मिलनी चाहिए ।

8 **सेवा की गुणवत्ता (Quality of Service & QoS) न्यूनतम स्पीड की गारंटीः–** उपभोक्ताओं को बेहतर अनुभव देने के लिए यूरोपीय मानकों की तरह प्रत्येक पब्लिक वाई–फाई हॉटस्पॉट पर कम से कम 30 Mbps की न्यूनतम डाउनलोड स्पीड की वास्तविक समय (Real&time) ट्रैकिंग की जानी चाहिए।

15.06.2026

अध्यक्ष
उपभोक्ता संरक्षण समिति
संगरिया (राजस्थान) 335063

पंजीकरण सं. 93/ श्रीगंगानगर/90-91

E-mail - President @ uss-sangaria.org.

उपभोक्ता संरक्षण समिति

संगरिया - 335063 जिला हनुमानगढ़ (राज.)

क्रमांक उप.सं. स./20 /

दिनांक..........................

9 **इनडोर कवरेज में सुधारः –**

भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों (बाजार, अस्पताल, रेलवे स्टेशन) और इमारतों के भीतर मोबाइल नेटवर्क सिग्नल कमजोर होने पर निर्बाध बैकअप के रूप में वाई–फाई कनेक्टिविटी को मजबूत किया जाना चाहिए ताकि कॉल ड्रॉप या इंटरनेट स्लो होने की समस्या न हो ।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के इस परामर्श पत्र Consultation Paper On the Proliferation of Public Wi-Fi Networks in India के संदर्भ सुझाव सादर प्रेषित हैं।

(संजय आर्य)

अध्यक्ष

उपभोक्ता संरझण समिति संगरिया

जिला हनुमानगढ़ राजस्थान

पंजीकृत उपभोक्ता समर्थक समुह